संख्या-43/2026/I/1372333/2026/11-4099/31/2025 पार्ट (1)

प्रेषक,

अरविन्द सिंह,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक 22 जून, 2026**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-89 के राजस्व लेखा के अन्तर्गत वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान के **मानक मद 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद** में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-वा0क0 अधि0/बजट/2026-27/पुर्नविनियोग/1994 /2026, दिनांक 12.06.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-89 के राजस्व लेखाशीर्षक 2040-00-800-04-वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान के मानक मद 55-मकान किराया भत्ता मद में उपलब्ध बचत में से मानक मद 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद में रू0 45.00 लाख की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-89 के राजस्व लेखाशीर्षक 2040-00-800-04-वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान के **मानक मद 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान** में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि **रू0 45.00 लाख (रु0 पैंतालिस लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति (**संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसार**) निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है-

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में नहीं की जायेगी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में दिनांक 31 मार्च, 2027 तक कर लिया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गयी है।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 45,00,000 (रुपये पैंतालीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 089 **लेखा शीर्षक** 2040008000400 वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान- **मानक मद** 58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

अरविन्द सिंह
उप सचिव।

संख्या व दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. एडीशनल कमिश्नर(लेखा), राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरविन्द सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A011-20262027-11-4099-31-2025

विषय:- मानक मद 55- मकान किराया भत्ता मद में उपलब्ध बचत में से मानक मद 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
089	2040008000400 (वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान-)	55 (मकान किराया भत्ता)	3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र	45,00,000 रुपये पैंतालीस लाख मात्र	45,00,000 रुपये पैंतालीस लाख मात्र	45,00,000 रुपये पैंतालीस लाख मात्र	2,55,00,000 रुपये दो करोड़ पचपन लाख मात्र	2026-2027
कुल					₹ 45,00,000	₹ 45,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
089	2040008000400 (वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान-)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	45,00,000 रुपये पैंतालीस लाख मात्र	45,00,000 रुपये पैंतालीस लाख मात्र	55,00,000 रुपये पचपन लाख मात्र	2026-2027
कुल				₹ 45,00,000	₹ 45,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

(1) स्तम्भ-3 में बचत का कारण निम्नानुसार है-

शासन द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष-2026-27 हेतु मानक मद 55-मकान किराया भत्ता मद में रु० 3,00,00,000/- (रू० तीन करोड़ मात्र) की धनराशि प्राविधानित करते हुए सम्बन्धित राशि विभाग के पक्ष में अवमुक्त की गई है, जिसके सापेक्ष अबतक रू0 25,30,648/- की धनराशि व्यय हुई है तथा रू0 2,74,69,352/- की धनराशि अवशेष है तथा सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष-2026-27 में मानक मद 55-मकान किराया भत्ता मद में रू0 1,70,00,000/- (रू० एक करोड़ सत्तर लाख मात्र) व्यय होने का अनुमान है तथा लगभग रू0 1,30,00,000/- (रू० एक करोड़ तीस लाख मात्र) की बचत होने की पूर्ण सम्भावना है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है-

मानक मद 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद में रू0 45,00,000/- (रू0 पैंतालिस लाख मात्र) के अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाना है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबंधो/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-27-E-9-40-X-2026-27-दिनांक: 19-06-2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।

अरविन्द सिंह

उप सचिव।

सिद्धार्थ श्रीवास्तव

अपर निदेशक वित्त।

संख्या : / , दिनांक- जून, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज ।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. एडीशनल कमिश्नर (लेखा), राज्य कर, उ०प्र०, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।
7. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, राज्य कर विभाग, उ०प्र० शासन।

8. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

अरविन्द सिंह
उप सचिव।